



(11)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विद्युत/479-147/1304

रायपुर, दिनांक 15/06/2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: — **Diversion of 2.37 ha of forest land in favour of CSPTCL for construction of 132 KV DCDS Line from 220/132 KV S/S Parswani to 132/25 KV Railway Traction S/S Mahasamund Transmission Line under FCA, 1980 in Mahasamund District in the State of Chhattisgarh.**

— पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 16561/ 2015

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक F.No. FC-I/CH-81/2017-NGP/3565 दिनांक 23.04.2018

2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक. शा/विद्युत/61325 दिनांक 06.06.2022

-00-

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के संदर्भित पत्र -1 द्वारा महासमुंद वन मण्डल अंतर्गत 132 KV DCDS Line from 220/132 KV S/S Parswani to 132/25 KV Railway Traction S/S Mahasamund तक पारेषण लाईन निर्माण हेतु कुल रकबा 2.37 हे. वन क्षेत्र में गैर वानिकी उपयोग हेतु CSPTCL को वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्य वन संरक्षक रायपुर ने वन मंडलाधिकारी महासमुंद वन मंडल से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर संदर्भित पत्र -2 के माध्यम से प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है जिसके अनुसार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

क्र.	अधिरोपित शर्तें	पालन प्रतिवेदन
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -01
(ii)	Compensatory afforestation over the degraded forest land, double in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency;	शर्त अनुसार व्यपवर्तित क्षेत्र के विरुद्ध बिगड़े दुगने वन क्षेत्र महासमुंद वनमंडल के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 269 में वैकल्पिक वृक्षारोपण का कार्य आवेदक संस्थान के व्यय पर वन विभाग द्वारा किया जावेगा। इस हेतु आवेदक संस्थान द्वारा राशि रु. 34,42,520/- कैम्पा खाते में जमा किया गया है। संलग्नक क्रमांक -02 (ऑनलाईन भुगतान रसीद)
(iii)	Differential GPS map of the area proposed for diversion as well as area identified for raising CA, duly certified by the competent authority in the State	शर्त अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. मानचित्र मय सी.डी. संलग्न है।

	Forest Department, shall be submitted along with compliance of Stage-I approval.	संलग्नक क्रमांक -03
(iv)	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण के रखरखाव हेतु वर्ष 2020-21 में प्रचलित दर अनुसार राशि रु. 34,42,520/- कैम्पा खाते में जमा करायी गई है। (पुष्टि संलग्नक क्रमांक-02 से की जा सकती है)
(v)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard;	शर्त के पालन में इको क्लास अनुसार वर्तमान प्रचलित दर से आवेदक संस्थान द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रु. 14,83,620/- ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा करायी गई है। (पुष्टि संलग्नक क्रमांक-02 से की जा सकती है)
(vi)	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -04
(vii)	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA, through e-challan, in the Saving Bank Account pertaining to the State concerned;	आवेदक संस्थान से निम्नानुसार राशि ई-चालान के माध्यम से एडहोक कैम्पा खाते में हस्तांतरित की गई है :- 1. वैकल्पिक वृक्षारोपण - 3442520/- 2. शुद्ध प्रत्याशा मूल्य - 1483620/- कुल - 4926140/- (पुष्टि संलग्नक क्रमांक-02 से की जा सकती है)
(viii)	No approach road shall be constructed in the forest area for transportation of steel and other material required for the transmission line. As far as possible the User Agency shall use the existing road and the proposed RoW for the transportation of the material and in the event of non-availability of such facilities, the User Agency shall transport material manually without construction of any path.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -05
(ix)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा पर्यावरण प्रभाव आंकलन के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसूची में विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य उल्लेखित नहीं है अतः पर्यावरण संरक्षण अनुमति की

		आवश्यकता नहीं है। संलग्नक क्रमांक -06
(x)	No labour camp shall be established on the forest land;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -07
(xi)	The User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -08
(xii)	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -09
(xiii)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -10
(xiv)	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -11
(xv)	Width of right of way for the transmission line shall be limited to 27m;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -12
(xvi)	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -13
(xvii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -14
(xviii)	The user agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintain necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals;	ट्रांसमिशन लाईन के दोनों सिरों के उपयुक्त स्थल पर circuit breakers स्थापित किया जावेगा। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -15
(xix)	No felling of trees shall be done during the construction of transmission line in the forest land.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में विद्युत लाईन का निर्माण के दौरान वृक्ष विदोहन नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -16

(xx)	<p>To minimize the felling for construction of transmission line, user agency shall comply with the following guidelines:</p> <p>(a) Below each conductor, width clearance of 3 mts. would be permitted for carrying the tension stringing equipment. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।</p> <p>संलग्नक क्रमांक -17 (a)</p>
	<p>(b) One outer strip may be left clear to permit maintenance of the transmission line;</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।</p> <p>संलग्नक क्रमांक -17 (b)</p>
	<p>(c) In the remaining width the right of way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance, trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 4.0 meter clearance between conductors and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above;</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।</p> <p>संलग्नक क्रमांक -17 (c)</p>
	<p>(d) User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line, and provide funds for execution of the said scheme to the State Forest Department; and</p>	<p>उक्त प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र में द्विपथ कन्डक्टर के नीचे 3 मीटर चौड़ाई में प्रभावित वनभूमि पथरीला होने के कारण औषधीय वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु कतार पर बौनी प्रजाति के पौधों का (औषधीय) वन विभाग द्वारा किया जावेगा जिसकी लागत आवेदक संस्थान द्वारा वहन करने का वचन पत्र दिया गया है।</p> <p>संलग्नक क्रमांक -17 (d)</p>
	<p>(e) In case a portion of the transmission lines to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be cut;</p>	<p>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है।</p> <p>संलग्नक क्रमांक -17 (e)</p>
(xxi)	<p>The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human</p>	<p>वनमंडलाधिकारी महासमुंद के प्रतिवेदन अनुसार इस शर्त की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा राज्य शासन के परामर्श कर किसी विशेष क्षेत्र या अवधि में पक्षियों के वैकल्पिक वास/आवास के लिए कृत्रिम घोंसला बनाया जावेगा एवं अन्य शर्तों के पालन का वचन पत्र दिया गया है।</p>

	settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	संलग्नक क्रमांक -18
(xxii)	The State Government shall ensure that process of settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, has been completed in accordance with the Guidelines issued by the MoEF&CC in this regard;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -19
(xxiii)	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -20
(xxiv)	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -21
(xxv)	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -22
(xxvi)	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project; and	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का दिया गया वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक क्रमांक -23
(xxvii)	The State Government, if so desire, may consider the proposal for grant of working permission in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 7.05.2015.	नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

उपरोक्तानुसार पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को लेख करने का कष्ट करें।

संलग्न :- संलग्नक 1 से 23 तक (2 प्रतियों में)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)

छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 15/06/2022

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-147/1305

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. वन मंडलाधिकारी, महासमुद्र वन मंडल, महासमुद्र, छत्तीसगढ़।
4. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, महासमुद्र।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)

o/c छत्तीसगढ़